बिल का सारांश

पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन बिल, 2017

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 31 जुलाई, 2017 को लोकसभा में पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन बिल, 2017 को पेश किया। यह बिल पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 2017 का स्थान लेता है। बिल को 1 जुलाई, 2017 से लागू माना जाएगा, जिस तारीख को अध्यादेश जारी किया गया था।
- बिल पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) एक्ट, 1994 में संशोधन करता है। 1994 का एक्ट पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करता है।
- **इंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली का अधिकार :** 1994 के एक्ट के तहत केंद्र सरकार को चंडीगढ़ में इंटरटेनमेंट टैक्स और ड्यूटी की वसूली करने का अधिकार है। बिल केंद्र सरकार के इन अधिकारों को चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित करता है।

  यह संशोधन संविधान (101वां संशोधन) एक्ट, 2016 के परिणामस्वरूप जारी किया गया है जोकि इंटरटेनमेंट टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित करता है। उल्लेखनीय है कि अगर इंटरटेनमेंट टैक्स पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी द्वारा वसूला जाता है, तो वह जीएसटी में शामिल नहीं होगा।
- **चुंगी वसूलने का अधिकार** : वर्तमान में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चुंगी और वाहन एवं पशु कर वसूलने का अधिकार है। बिल इन अधिकारों को समाप्त करता है।

  यह संशोधन भी संविधान (101वां संशोधन) एक्ट, 2016 के परिणामस्वरूप जारी किया गया है जोकि चुंगी सहित इंट्री टैक्स को जीएसटी में सम्मिलित करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

वत्सल खुल्लर
vatsal@prsindia.org

1 अगस्त, 2017